Functions of district level coordination committee

- 1- To ensure implementation of government orders/resolutions related to gpdp
- 2- To ensure inter departmental coordination at the sud-district and district levels
- 3- To ensure convergence of schemes and resources- MGNERGA and SBM in particular
- 4- To decide on the demarcation of gp clusters if required as part of the master guidelines
- 5- To coordinate the environment generation activities and media plan at the district level
- 6- To respond to issues from the field and undertake troubleshooting and crisis management as required
- 7- To ensure that necessary human resources required for gpdp processes are available as required in all gps and clear cut responsibilities are fixed
- 8- To coordinate capacity building of all concerned
- 9- To ensure availability, gp wise, of secondary data relevant to gpdp as per the state guidelines
- 10- To ensure timely coordination of technical appraisal and approval of projects
- 11- To monitor and steer the entire gpdp process at the district level
- 12- To monitor the implementation of the gpdp
- 13- To report and provide feedback to the ec on the status of gpdp in the district, on issues and on best practices

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों / प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।
- 2. जिला एवं खण्ड स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित कराना।
- 3. विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।
- 4. ग्राम पंचायत समूहों के सीमांकन को यथावश्यक मुख्य दिशा—निर्देशों के अंश के रूप में निर्धारित करना।
- 5. जिला स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों तथा मीडिया योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।
- 6. क्षेत्रीय के मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, अवश्यकता के अनुरूप समस्या का निवारण और संकट प्रबंधन करना।
- 7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करना।
- 8. सभी संबंधित पक्षों का क्षमता निर्माण।
- 9. राज्य के दिशा—निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकडों (Secondary Data) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के मध्य समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।
- 11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का जिला स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।
- 12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
- 13. जनपद में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुडे मुद्दों तथा सर्वोत्तम प्रयासों पर मूल्यांकन समिति को रिपोर्ट और राय देना।